न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2013 निगरानी R-2148-PBR/13

श्यामलाल कुशवाह पुत्र तांतिया कुशवाह निवासीगण ग्राम सांसन तह. भितरवार जिला ग्वालियर

----- आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन

---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायाल कलेक्टर ग्वालियर के प्र.क. 240/निगरानी/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17–05–13 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम सांसन तह. भितरवार जिला ग्वालियर के सर्वे क. 663,रकवा 0.06 हैं. के संबंध में तहसीलदार महोदय भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 129 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रक्र. 60/11–12/वी–121 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.06.12 के सीमांकन आदेश पारित किया गया परन्तु पड़ोसी कृशको द्वारा आपत्ती की गई के सीमांकन बिना एस.एल.आर. व उनकी टीम द्वारा सीमांकन ही मान्य किया जावेगा इस आधार पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर के समक्ष प्रक्र. 240/वी–121/12–13 पर पंजीवद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 17.05.13 से उक्त निगरानी इस आधार पर अमान्य की गई कि, पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता नही होने से अमान्य की गई। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त अज्ञायें अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदक का विवादित भूमि का भूमिस्वामी है। अना. क. 1 द्वारा प्रस्तुत किये

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2148-पीबीआर/2013 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	6/3/19